



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 16, 2016/माघ 27, 1937

No. 103]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 16, 2016/MAGHA 27, 1937

पोत परिवहन मंत्रालय**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2016

सा.का.नि. 169(अ).—केंद्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 95 की उप-धारा (3) और धारा 457 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वाणिज्य पोत परिवहन (सी फेयर की भर्ती और स्थानन) नियम, 2005 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है भर्ती और स्थानन सेवाओं को अनुज्ञप्तियों के मामले को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (सी फेयर की भर्ती और स्थानन) नियम 2016 है।

(2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं – (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) “अधिनियम” से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) अभिप्रेत है;

(ख) “सलाहकार बोर्ड” से अधिनियम की धारा 95 की उप-धारा (3) के खंड (क) में निर्दिष्ट सलाहकार बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) “सामूहिक सौदाकारी करार” से, -

(i) सी फेयर के ऑन बोर्ड भारतीय ध्वज-पोत नियोजन के लिए सी फेयरर ट्रेड यूनियन और भारतीय पोत स्वामियों के मध्य समय-समय पर हस्ताक्षरित करार; या

(ii) संबंधित ट्रेड यूनियनों और ऑन बोर्ड विदेशी ध्वज पोतों पर नियोजन के लिए नियोजकों के मध्य हस्ताक्षरित करार जो संबंधित राज्य के ध्वज विधियों के अनुरूप है, अभिप्रेत है;

(घ) “निदेशक” से अधिनियम की धारा 12 के अधीन स्थापित संबंधित नाविक नियोजन कार्यालय का निदेशक या इस निमित्त महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ड.) “नियोजक” से कोई व्यक्ति जो सीफेयरर को नियोजित करने का उत्तरदायित्व -

(i) स्वयं ; या

(ii) किसी पोत के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति के लिए लेता है और जिसने ऐसे सभी कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों, जो स्वामी के होते हैं, के निर्वहन करने का करार किया है, अभिप्रेत है ;

परंतु जहां कोई भर्ती और स्थानन सेवा सीफेयरर के नियोक्ता का नाम और ब्यौरे नियोजन संविदा करते समय प्रकट नहीं करता है, वहां ऐसी भर्ती और स्थानन सेवा इस संबंध में नियोक्ता या पोत स्वामी के सभी उत्तरदायित्वों को लेगा;

(च) “प्ररूप” से इन नियमों से संलग्न कोई प्ररूप अभिप्रेत है ;

(छ) “निरीक्षण प्राधिकारी” से महानिदेशक का कोई अधीनस्थ अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय, जो निरीक्षण करने के लिए वृत्तिकतः सक्षम हो और इस संबंध में महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत हो ;

(ज) “अनुज्ञप्ति” से इन नियमों के नियम 10 के उपनियम (1) के अधीन जारी भर्ती और स्थानन सेवा अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है;

(झ) “भर्ती और स्थानन सेवा” से सार्वजनिक या प्राइवेट सैक्टर में कोई व्यक्ति, कंपनी, संस्था, अभिकरण या अन्य संगठन, जो नियोक्ताओं की ओर से सी फेयररों के भर्ती में या सीफेयररों के नियोजकों के साथ स्थानन में लगा हुआ हो;

(ञ) “पोत स्वामी” से -

(क) अधिनियम के अधीन भारतीय ध्वज पोत के रूप में रजिस्ट्रीकृत पोत का स्वामी ; और

(ख) भारतीय ध्वज पोत से अन्यथा, कोई संगठन या कोई व्यक्ति जैसे कोई प्रबंधक, अभिकर्ता या बेयरबोट चार्टरर, जिसने ऐसे स्वामी से पोत के प्रचालन के लिए उत्तरदायित्व लिया है और जिसने ऐसा उत्तरदायित्व लेने पर, इस बात को ध्यान दिए बिना कि कोई अन्य संगठन या व्यक्ति पोत स्वामी की ओर से कतिपय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों को पूरा करता है, ऐसे स्वामी के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को अपने हाथ में लेता है, अभिप्रेत है;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और पद जो परिभाषित नहीं किए गए हैं परंतु अधिनियम में परिभाषित हैं के वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं ।

3. लागू होना - (1) ये नियम अनुज्ञप्त भर्ती और स्थानन सेवाओं के माध्यम से भर्ती किए गए सीफेयरर को लागू होंगे ।

(2) ये उन भारतीय पोत स्वामियों को भी लागू होंगे जो किसी अन्य नियोजकों, जिनके अंतर्गत विदेशी ध्वज पोतों के लिए भर्ती है, के लिए सीफेयररों की भर्ती करते हैं ;

परंतु इन नियमों में की गई कोई बात उन सी फेयररों को लागू नहीं होगी, जो बिना अनुज्ञप्ति वाली सत्ताओं के माध्यम से नियोजन चाहते हैं या विदेशी पोत स्वामियों या नियोजकों के साथ कोई सीधा नियोजन चाहते हैं ।

4. भर्ती और स्थानन सेवा का रजिस्ट्रीकरण - कोई व्यक्ति भारत में भारतीय या विदेशी पोत के नियोजक या पोत स्वामी की ओर से सीफेयरर की भर्ती और स्थानन का कारबार प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः तब तक नहीं करेगा जब तक वह इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत और अनुज्ञप्त न हो ;

5. भर्ती और स्थानन सेवा के उत्तरदायित्व - (1) भर्ती और स्थानन सेवा प्रदाता जिसके अंतर्गत समझी गई भर्ती और स्थानन सेवाएं हैं :-

(क) उसके माध्यम से भर्ती किए गए या स्थानन किए गए सभी सीफेयररों का अध्ययन अभिलेख अनुरक्षित करेगा, जो निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा जब कभी अपेक्षित हो, निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि उसका प्रबंधन और कर्मचारीवृंद पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित है और उनके पास समुद्री उद्योग का इस संदर्भ में उनको सौंपे गए कर्तव्यों के विस्तार तक पर्याप्त ज्ञान है ;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा भर्ती किए गए या स्थानन किए गए सीफेयररों को उनके नियोजन करारों, उनके

नियोजन से पूर्व या उसके दौरान अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी है तथा ऐसे सीफेयररों के लिए करार हस्ताक्षरित करने से पूर्व और पश्चात् अपने नियोजन करारों की परीक्षा करने के लिए उचित व्यवस्था की जाती है और उनको उक्त करारों की प्रतियां प्रदान की जाती है;

(घ) यह सत्यापित करेगा कि उनके द्वारा भर्ती किए गए या स्थानन किए गए सीफेयरर अर्हित हैं और संबंधित कार्यों के लिए आवश्यक दस्तावेज धारण करते हैं तथा सीफेयरर नियोजन करार लागू ध्वज राज्य विधियों और विनियमों तथा किसी सामूहिक सौदाकारी करार जो उनके नियोजन करारों के भाग हैं के अनुसार है ;

(ङ.) यथासाध्य यह सुनिश्चित करेगा कि पोत स्वामी के पास सीफेयरर को किसी पत्तन में उत्कूलित होने से संरक्षित करने के साधन है; और ऐसी दशा में उसके अनुरक्षण सहित उत्कूलित सीफेयरर के संप्रत्यावर्तन के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेगा और उसकी मृत्यु की दशा में सीफेयरर के पार्थिव शरीर के संप्रत्यावर्तन और परिवहन से पूर्व अपेक्षित आपात चिकित्सा सहायता के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेगा, और वह उसके परित्याग और उत्कूलित होने की दशा में सीफेयरर के संप्रत्यावर्तन की लागत की पूर्ति के लिए बैंक गारंटी भी देगा;

(च) किसी शिकायत के तत्काल और पर्याप्त परीक्षा करेगा और उसके क्रियाकलापों से संबंधित किसी शिकायत का उत्तर देगा तथा किसी अनसुलझी शिकायत के विषय में महानिदेशक को सूचित करेगा ;

(छ) सीफेयररों को किसी धनीय हानि, जो भर्ती और स्थानन सेवा और सीफेयरर नियोजन करार के अधीन सुसंगत पोत स्वामी द्वारा उनके प्रति दायित्व को पूरा करने में विफल होने के परिणाम स्वरूप उपगत होती हो, की प्रतिपूर्ति करने के लिए बैंक गारंटी द्वारा संरक्षण की प्रणाली स्थापित करेगा;

(ज) यह सुनिश्चित करेगा कि सीफेयररों को ऐसे रोजगार प्राप्त करने से जिनके लिए वे अर्हित हैं कोई साधन या क्रियाविधि या सूचियां उनको ऐसा रोजगार प्राप्त करने से रोकने या भयोपरत करने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा;

(झ) ये सुनिश्चित करेगा कि सीफेयररों द्वारा चिकित्सा प्रमाणपत्रों, सीफेयरर बुक और पासपोर्ट या अन्य ऐसे व्यक्तिगत यात्रा दस्तावेज अभिप्राप्त करने में लागत से अन्यथा सीफेयररों द्वारा किसी फीस या अन्य प्रभार का प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, पूर्णतः या भागतः वहन नहीं किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि बीजा की लागत और चिकित्सा परीक्षा हेतु नाम लिखने से पूर्व और समाप्ति के पश्चात् प्रभार, जहां कहीं अपेक्षित हों पोत स्वामियों द्वारा वहन किए जाएंगे;

(ञ) यह सुनिश्चित करेगा कि पोत पर क्षति (लघु क्षति छोड़कर) कारित करने वाली कोई घटना या दुर्घटना या मृत्यु, लोप, ओवरबोर्ड हानि या किसी भारतीय व्यक्ति द्वारा या की मानव हत्या महानिदेशक को तुरंत और ऐसी सूचना की प्राप्ति के 24 घंटों के अपश्चात् रिपोर्ट की जाती है;

(ट) सीफेयरर की चिकित्सा परीक्षा को सत्यापित करने के लिए परिचालन प्रथाओं को विकसित और अनुरक्षित करेगा, दस्तावेज और ऐसी अन्य मदों की पहचान करेगा, जो सीफेयररों द्वारा रोजगार प्राप्त करने के लिए अपेक्षित हो ;

(ठ) निजिता के अधिकार और गोपनीयता को संरक्षित करने की आवश्यकता को सम्यक सम्मान देते हुए सीफेयररों का पूरा अभिलेख अनुरक्षित करेगा जो उनके भर्ती और स्थानन प्रणाली द्वारा समाविष्ट है, जिसके अंतर्गत, परंतु निम्नलिखित तक सीमित नहीं होना चाहिए -

(i) सीफेयरर की अर्हताएं ;

(ii) नियोजन का अभिलेख ;

(iii) नियोजन से सुसंगत व्यक्तिगत आंकड़े; और

(iv) नियोजन से सुसंगत चिकित्सा आंकड़े ;

(ड) पोत स्वामियों के स्वामित्वाधीन पोतों, जिनके लिए भर्ती और स्थानन सेवा सीफेयररों की व्यवस्था करती है और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे युक्तियुक्त साधन है जिनके द्वारा पोतों से अपात स्थिति में हर समय संपर्क किया जा सकता है;

(ढ) यह सुनिश्चित करेगा कि सीफेयरर का उनके कार्मिकों द्वारा किसी विशिष्ट पोत पर नियोजन की प्रस्थापना के संबंध में या विशिष्ट कंपनियों द्वारा शोषण नहीं किया जाता है;

(ण) पोत स्वामी और सीफेयरर के मध्य अग्रिमों या किसी अन्य वित्तीय संव्यवहार के मामले से उद्भूत सीफेयररों के शोषण के अवसरों को निवारित करने की प्रक्रियाएं तैयार करेगा जो भर्ती और स्थानन सेवाओं के नियंत्रण में होंगी;

(त) लागत, यदि कोई हो, जिससे भर्ती प्रक्रिया में सीफेयरर द्वारा वहन किया जाना प्रत्याशित है, को स्पष्टतया विज्ञापित करेगा ;

(थ) यह सुनिश्चित करेगा कि सीफेयररों को उन कार्यों, जिनके लिए उनको नियोजित किया जाना है लागू किसी विशिष्ट शर्त और उनके नियोजन से संबंधित विशिष्ट पोत स्वामियों की नीतियों के विषय में सूचित किया जाता है;

(द) यह सुनिश्चित करेगा कि अक्षमता और अनुशासनहीनता के मामलों को निपटाने के दौरान अनुसरित प्रक्रियाएं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों, देश की विधि और प्रथा तथा जहां कहीं लागू हो, सामूहिक सौदाकारी करारों से संगत है;

(ध) यह सुनिश्चित करेगा कि नियोजन के लिए प्रस्तुत किए गए सभी आज्ञापक प्रमाणपत्र और दस्तावेज अध्ययन है और कपटपूर्ण तरीके से अभिप्राप्त नहीं किए गए हैं तथा नियोजन संदर्भों को सत्यापित किया गया है;

(न) यह सुनिश्चित करेगा कि जब सीफेयरर्स समुद्र में हो तो सीफेयररों के कुटुंबों द्वारा जानकारी और सलाह के लिए अनुरोध तत्काल और सहानुभूतिपूर्वक और सीफेयररों के खर्चों पर नहीं निपटाए जाते हैं;

(प) यह सत्यापित करेगा कि पोतों पर, जहां सीफेयरर तैनात किए जाते हैं, श्रम शर्तें पोत स्वामी और सीफेयररों के संगठन के प्रतिनिधि के बीच संपन्न सामूहिक सौदाकारी करारों के अनुरूप है।

(फ) यह सुनिश्चित करेगा कि सीफेयररों के नियोजन के निबंधन और शर्तें लागू विधियों या विनियमों या सामूहिक सौदाकारी करारों के अनुपालन में है;

(ब) ये प्रयास करेगा कि मृत्यु प्रतिपूर्ति या निःशक्तता प्रतिपूर्ति पोत स्वामी द्वारा असम्यक विलंब के बिना संदत्त की जाती है;

(भ) यह सुनिश्चित करेगा कि इन नियमों के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति की प्रति भर्ती और स्थानन सेवा के परिसरों पर प्रमुखतः ऐसे स्थान पर प्रदर्शित की जाती है जो आम जनता की पहुंच में हो;

(म) यह सुनिश्चित करेगा कि अनुज्ञप्ति की संख्या, जारी करने की तारीख और विधिमान्यता अवधि प्रकाशित उनके सभी विज्ञापनों में उल्लिखित की जाती है और अनुज्ञप्ति संख्या उसके सभी संचार माध्यमों में उल्लिखित की जाती है;

(य) यह सुनिश्चित करेगा कि वह निदेशक को उसके वार्षिक निरीक्षण के लिए इसकी नियत तारीख से तीन मास को अनुस्मारक भेजेगा और उसके लिए तैयार रहेगा।

(2) भर्ती और स्थानन सेवा प्ररूप 1 में एक मासिक रिपोर्ट प्रत्येक उत्तरवर्ती मास की 12 तारीख तक, महानिदेशक पोत परिवहन द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में भेजेगा।

(3) यदि सीफेयरर की मृत्यु होती है या कोई क्षति होती है, तो उसे प्ररूप 2 में ऑनलाइन रीति में या कागज प्ररूप पर भर्ती और स्थानन सेवा द्वारा घटना के 48 घंटों के भीतर निदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को रिपोर्ट किया जाएगा।

(4) यदि भर्ती और स्थानन सेवा उपनियमों (2) और (3) में निर्दिष्ट रिपोर्ट देने में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विफल रहती है तो निदेशक इन नियमों के अधीन प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण या जारी की गई अनुज्ञप्ति निलंबित कर सकेगा या वापस ले सकेगा :

परंतु ऐसी कोई अनुज्ञप्ति व्यथित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना निलंबित नहीं की जाएगी या वापस नहीं ली जाएगी।

6. सीफेयरर कल्याण निधि सोसायटी को कल्याण अभिदाय – (1) भर्ती और स्थानन सेवा सीफेयररों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सीफेयरर कल्याण निधि सोसायटी, मुंबई छह हजार रुपये प्रति सीफेयरर प्रति वर्ष, प्रत्येक सीफेयरर, नियोजित सीफेयररों की वास्तविक अवधि के आधार पर ऑन बोर्ड विदेशी ध्वज पोतपर नियोजित प्रशिक्षणार्थियों को छोड़कर, के लिए कल्याण निधि अभिदाय संदत्त करेगी।

(2) भर्ती और स्थानन सेवा यह सुनिश्चित करेगी कि भारतीय पोत स्वामी यथासंशोधित वाणिज्य पोत परिवहन (नाविक कल्याण फीस का उद्ग्रहण) नियम 1974 के अनुसार भारतीय ध्वज पोत पर उनके द्वारा ऑन बोर्ड लगाए गए प्रत्येक सीफेयरर के लिए कल्याण निधि अभिदाय का संदाय करेगा।

(3) उपनियम(1) में निर्दिष्ट अभिदाय का संदाय प्रत्येक तिमाही के अंत के पश्चात् मास की 15 तारीख तक किए जाएं।

(4) उप नियम (1) में वर्णित सीफेयरर कल्याण निधि अभिदाय की रकम महानिदेशक द्वारा पुनरीक्षण के अध्यक्षीन होगी।

(5) उप नियम (5) में निर्दिष्ट पुनरीक्षण प्रत्येक तीन वर्षों में एक बार किया जाएगा :

परंतु इस प्रकार पुनरीक्षित रकम उपनियम (1) में निर्दिष्ट अभिदाय के 25 प्रतिशत से अनधिक होगी।

7. नाविकों के नियोजन कार्यालय के कृत्य - (1) नाविक का नियोजन कार्यालय, -

- (क) नियम 9, 10 और नियम 11 में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति को जारी या नवीकृत करेगा;
- (ख) जारी की गई अनुज्ञप्तियों का अभिलेख अनुरक्षित करेगा और सुभिन्न अनुज्ञप्ति संख्याएं समनुदेशित करेगा तथा पोत परिवहन के महानिदेशालय की वेबसाइट पर अनुज्ञप्तियों के ब्यौरे प्रदर्शित करेगा ;
- (ग) उन भर्ती और स्थानन सेवाओं, जिनकी अनुज्ञप्तियां निलंबित या रद्द की जाती हैं के अभिलेख अनुरक्षित करेगा और उनके ब्यौरे पोत परिवहन के महानिदेशालय की वेब साइट पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था करेगा ।
- (घ) सीफेयररों से प्राप्त किसी पोत पर कार्य करण या जीवनयापन की दशा से संबंधित शिकायतों के ब्यौरे अनुरक्षित करेगा;
- (ङ.) जहां कहीं अपेक्षित हो, भर्ती और स्थानन सेवाओं के क्रियाकलापों से संबंधित शिकायतों और पथभ्रष्ट सीफेयररों के विरुद्ध भर्ती और स्थानन सेवाओं से प्राप्त शिकायतों को सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट करेगा ; और
- (च) सीफेयररों की मृत्यु या निःशक्तता की दशा में प्राप्त जानकारी के ब्यौरे अनुरक्षित करेगा ।
- (2) जहां भर्ती और स्थानन सेवा नियम 5 के उपनियम (1) के खंड (ड.) और खंड (छ) के अधीन निर्दिष्ट अपने उत्तरदायित्वों का बचनबंद करने में विफल रहती है, वहां नियम 12 में निर्दिष्ट बैंक गारंटी का आवाहन किया जाएगा और नाविक के नियोजन कार्यालय द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाएगा ।
- (3) यदि उपनियम (2) में निर्दिष्ट बैंक गारंटी में उपलब्ध रकम अपर्याप्त है, तो सीफेयरर कल्याण निधि सोसायटी, मुंबई के भर्ती और स्थानन सेवा के कल्याण अभिदाय का उपयोग प्रयोजन के लिए अंतरिम उपाय के रूप में किया जाएगा ।
- (4) उपनियम (2) या (3) के अधीन इस प्रकार उपयोग की गई रकम भर्ती और स्थानन सेवा से ऐसे उपयोग की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर वसूली जाएगी, ऐसा न होने पर संबंधित भर्ती और स्थानन सेवा की अनुज्ञप्ति तब तक निलंबित रहेगी, जब तक महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट संदाय की, परंतु किसी भी दशा में ऐसे संदाय की तारीख से डेढ़ प्रतिशत प्रति मास से अनधिक ब्याज सहित पुनःपूर्ति नहीं की जाती
- (5) निदेशक, किसी सीफेयरर निकट संबंधी से शिकायत की प्राप्ति पर उस पर विस्तृत जांच करवाएगा ।
- (6) निदेशक, यदि आवश्यक समझा जाए, तो निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए विशेष निरीक्षण का आदेश दे सकेगा ।
- (7) विशेष निरीक्षण भर्ती और स्थानन सेवा के कार्यालय में या उसकी किसी शाखाओं में या अधिनस्थ कार्यालय में जो आवश्यक समझा जाए करवाया जा सकेगा ।

8. सलाहकार बोर्ड की संरचना और कृत्य- (1) सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर गठित होगा, अर्थात्:-

- (क) संयुक्त महानिदेशक, पोत परिवहन-अध्यक्ष, पदेन;
- (ख) उप महानिदेशक- पोत परिवहन, जो कर्मीदल संबंधित मामलों का कार्य करता हो-सदस्य सचिव, पदेन;
- (ग) पोत स्वामियों के दो प्रतिनिधि, महानिदेशक द्वारा यथा नियुक्त -सदस्य;
- (घ) भर्ती और स्थानन सेवाओं के दो प्रतिनिधि, जो महानिदेशक द्वारा नियुक्त हों-सदस्य; और
- (ङ.) जो महानिदेशक द्वारा नियुक्त सीफेयरर के दो प्रतिनिधि- सदस्य ।
- (2) सलाहकार बोर्ड का कार्यकाल दो वर्ष का होगा ।
- (3) सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित पर सलाह दे सकेगा-
- (क) उसको निर्दिष्ट शिकायतों में मामलों पर; और
- (ख) उसको निर्दिष्ट किसी नीति संबंधी मामले पर ।

9. अनुज्ञप्ति जारी करने और उसके नवीकरण हेतु प्रक्रिया - (1) अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन प्ररूप 3 में किया जाएगा और नवीकरण हेतु आवेदन प्ररूप 4 में किया जाएगा ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदनों के साथ प्ररूप 5 और प्ररूप 6 में घोषणाएं और प्ररूप 7 में करार संलग्न किया जाएगा तथा निदेशक को और निरीक्षण प्राधिकारी को एक प्रति सहित दिया जाएगा। कोई अधूरा आवेदन प्रक्रिया में नहीं लिया जाएगा और दस दिनों के भीतर आवेदक को उस पर कारण उपदर्शित करते हुए वापस किया जाएगा।

(3) निदेशक, निरीक्षण प्राधिकारी से निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति पर अनुज्ञप्ति जारी कर सकेगा।

(4) अनुज्ञप्ति प्ररूप 8 में जारी की जाएगी।

(5) नवीकरण हेतु आवेदन अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से छह मास के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

(6) यदि आवेदन अनुज्ञप्ति की समाप्ति के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है तो भर्ती और स्थानन सेवा तीन लाख रुपए की विलंब फीस का संदाय करने के लिए दायी होगी।

(7) विलंब फीस के उद्ग्रहण से पूर्व आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

10. अनुज्ञप्ति की अवधि-(1) इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए जारी की जाएगी।

(2) इन नियमों के अधीन जारी अनुज्ञप्ति अंतरणीय नहीं होगी।

11. अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति- भर्ती और स्थानन सेवा प्रदाता, जहां लागू हो, प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति सहित नाविक नियोजन कार्यालय को संदेय पांच हजार रुपए की आवेदन फीस सहित किसी विधिमान्य कारण हेतु अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिए आवेदन करेगा और ऐसा संदाय किसी अनुसूचित बैंक के नाम लिखे मांग देय ड्राफ्ट द्वारा या ई-संदाय जैसा महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, किया जाएगा।

12. भर्ती और स्थानन सेवा अनुज्ञप्ति का निलंबन या वापस लिया जाना- (1) अधिकारिता निदेशक, जिसने अनुज्ञप्ति जारी की है, निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने पर या किसी संबंधित सीफेयरर द्वारा शिकायत पर या अन्यथा, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कोई कारण है कि भर्ती और स्थानन सेवा के कार्यकलाप अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के विरुद्ध है या सीफेयरर के हित के विरुद्ध है, तो भर्ती और स्थानन सेवा को, ऐसे नोटिस को जारी करने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर कारण बताने की अपेक्षा करते हुए कि क्यों न उसकी अनुज्ञप्ति निलंबित की जाए, या वापस ली जाए, प्ररूप 9 में कारण बताओं नोटिस जारी कर सकेगा।

(2) अधिकारिता निदेशक, उपनियम (1) के अधीन जारी कारण बताओ नोटिस के उत्तर पर विचार करने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र, परंतु उत्तर की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के अपश्चात्, यदि कोई हो, व्यक्तिगत सुनवाई के पश्चात् निलंबन या प्रतिसंहण जैसा उचित समझे का आदेश पारित करेगा और उसको भर्ती और स्थानन सेवा का संसूचित करेगा तथा उसकी एक प्रति विस्तृत रिपोर्ट सहित प्रधान अधिकारी, वाणिज्यिक समुद्री विभाग तथा महानिदेशक को तुरंत अग्रेषित करेगा।

(3) अनुज्ञप्ति के निलंबन या वापसी के बारे में जानकारी ऑनलाइन प्रचारित की जाएगी।

(4) उपनियम (2) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश स्वतः पूर्ण होगा और अनुज्ञप्ति के निलंबन या वापस लेने के लिए उसमें कथित निष्कर्षों के लिए कारण देगा।

13. निरीक्षण- (1) महानिदेशक निरीक्षण का संचालन करने के लिए निरीक्षण प्राधिकारी की नियुक्ति करेगा और ऐसे निरीक्षण को करने के लिए प्रक्रिया भी विरचित करेगा।

(2) निदेशक यह सुनिश्चित करेगा कि भर्ती और स्थानन सेवा का निरीक्षण, निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा किया जाता है।

(3) निरीक्षण प्राधिकारी, निरीक्षण का संचालन करेगा और उसकी रिपोर्ट निदेशक को आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा जो महानिदेशक द्वारा विस्तारित की जाएं।

14. फीस- (1) भर्ती और स्थानन सेवा प्रदाता अनुज्ञप्ति या उसके नवीकरण की अभिप्राप्ति के लिए चालीस हजार रुपए की फीस, जो अप्रतिदेय होगी और नाविक नियोजन कार्यालय को संदेय होगी, का संदाय करेगा तथा उक्त संदाय किसी अनुसूचित बैंक के नाम लिखे मांग देय ड्राफ्ट द्वारा या ई-संदाय द्वारा, जैसा कि महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) भर्ती और स्थानन सेवा निरीक्षण प्राधिकारी को प्रत्येक वार्षिक या नवीकरण निरीक्षण के लिए बीस हजार रुपए की अप्रतिदेय फीस संदत्त करेगी।

15. बैंक गारंटी- (1) भर्ती और स्थानन सेवा निदेशक को निम्नलिखित सारणी के अनुसार बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगी:-

सारणी

क्रम संख्या	विदेशी ध्वज पोतों पर स्थानन के लिए सीफेयररों की संख्या	बैंक गारंटी की रकम, भारतीय रुपए में
1.	50 तक	10 लाख
2.	51-250	15 लाख
3.	251-500	20 लाख
4.	501-750	25 लाख
5.	751-1000	30 लाख
6.	1001 और अधिक	40 लाख

(2) बैंक गारंटी संबंधित नाविक नियोजन कार्यालय के पक्ष में भारत में किसी अनुसूचित बैंक के नाम पर लिखे जाएंगे।

(3) बैंक गारंटी कार्यों की संख्या के अनुरूप होगी और अनुज्ञप्ति अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(4) कार्य की संख्या किसी परिवर्तन की दशा में, भर्ती और स्थानन सेवा आवेदन के साथ अपेक्षित बैंक गारंटी देगी।

(5) ऐसी बैंक गारंटी के अंतर्गत निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :-

(क) उत्कूलित सीफेयरर के संप्रत्यावर्तन की लागत, जिसके अंतर्गत ऐसी यात्रा की समुचित और शीघ्र साधन, सामान्यतः हवाई जहाज द्वारा और सीफेयरर की घर पहुंचने तक सीफेयररों के भोजन, वस्त्र, आवास की व्यवस्था, आवश्यक चिकित्सा देखभाल, व्यक्तिगत चीजबस्त का पारगमन और परिवहन, सीफेयरर की मृत्यु की दशा में उसके पार्थिव शरीर का परिवहन है ;

(ख) परित्यक्त सीफेयरर के संप्रत्यावर्तन की लागत, जिसके अंतर्गत उत्कूलित सीफेयरर के संप्रत्यावर्तन की लागत, जिसके अंतर्गत ऐसी यात्रा की समुचित और शीघ्र साधन, सामान्यतः हवाई जहाज द्वारा और सीफेयरर के पोत छोड़ने के समय से घर पहुंचने तक सीफेयररों के भोजन, वस्त्र, पेयजल आपूर्ति, पोत पर जीवित रहने के लिए आवश्यक ईंधन, आवास की व्यवस्था, आवश्यक चिकित्सा देखभाल, व्यक्तिगत चीजबस्त का पारगमन और परिवहन, सीफेयरर की मृत्यु की दशा में उसके पार्थिव शरीर का परिवहन है तथा परित्याग गठित करने वाले कार्य या लोप से कोई अन्य युक्तियुक्त खर्च या प्रभार जब तक सीफेयरर घर नहीं पहुंचता है ;

(ग) कोई मौद्रिक हानि जिसके अंतर्गत बकाया मजदूरी और पोत स्वामी से सीफेयरर को अन्य देय हकदारियां हैं, जो सीफेयरर नियोजन करार या सुसंगत सामूहिक सौदाकारी करार के अधीन उसकी भर्ती स्थानन सेवा या सुसंगत पोत स्वामी द्वारा बाध्यता को पूरी करने में विफलता के परिणामस्वरूप पूरी की गई हो।

(घ) मजदूरियों के असंदाय के कारण मौद्रिक हानि के ऐसे किसी दावे को करने से पूर्व, सीफेयरर शिकायत की निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण और उसे पूरा करेगा, अर्थात्:-

(i) कैलेंडर मास पूरा होने पर, यदि सीफेयरर को कोई मजदूरी संदत्त नहीं की गई है तो वह तुरंत स्वामी या नियोक्ता या पोत पर स्वामी या ध्वज राज्य या पोत राज्य प्राधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कर सकेगा; और

(ii) यथासंभव शीघ्र, भर्ती और स्थानन सेवा को मजदूरी के ऐसे असंदाय के संबंध में सारे ब्यौरे सूचित करेगा।

16. भर्ती और स्थानन सेवा प्रक्रिया में किसी परिवर्तन की सूचना- यदि पोत स्वामियों या नियोक्ता को भर्ती और स्थानन सेवा के मध्य करार या संविदा में कोई परिवर्तन हो तो भर्ती और स्थानन सेवा उसके विषय में निदेशक को यथास्थिति करार की एक प्रति सहित नियम 12 में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित बैंक गारंटी सहित एक मास के भीतर सूचित करेगी, ऐसा न होने पर निदेशक भर्ती और स्थानन सेवा को प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण और जारी की गई अनुज्ञप्तियों को निलंबित कर सकेगा या वापस ले सकेगा:

परंतु कोई ऐसी अनुज्ञप्ति व्यथित व्यक्ति की सुनवाई का अवसर दिए बिना निलंबित नहीं की जाएगी या वापस नहीं ली जाएगी।

17. कारबार के स्थान में परिवर्तन की सूचना- (1) भर्ती और स्थानन सेवा, समय समय पर निदेशक को उसके कारबार में किसी परिवर्तन के विषय में ऐसे परिवर्तन के सात दिन के भीतर लिखत में सूचित करेगी, ऐसा न करने पर निदेशक भर्ती और स्थानन सेवा को प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण और जारी अनुज्ञप्ति को निलंबित कर सकेगा या वापस ले सकेगा:

परंतु कोई ऐसी अनुज्ञप्ति व्यथित व्यक्ति की सुनवाई का अवसर दिए बिना रद्द नहीं की जाएगी।

(2) कारबार के स्थान में परिवर्तन के लिए भर्ती और स्थानन सेवा, अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए, नियम 9 के उपनियम (1) और (2) में विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगी।

18. सीफेयरर का स्थानन- पूर्वगामी नियमों के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भर्ती और स्थानन सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि सीफेयरर, जिसके साथ नियोजन करार किया गया है, पोत में ऑन बोर्ड रखा जाए, यदि सीफेयरर ऐसा करने के लिए तैयार और इच्छुक है और यथा निदेशित पोत को रिपोर्ट करता है।

19. अपील- (1) नियम 18 के अधीन पारित किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसा आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर संबंधित अधिकारिता प्रधान अधिकारी, वाणिज्यिक समुद्री विभाग को अपील कर सकेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारी दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात् ऐसी अपील की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर उस पर कोई आदेश पारित करेगा।

(3) उपनियम (2) के अधीन पारित किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर महानिदेशक को अपील कर सकेगा, जो दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात् उस पर यथा संभव युक्तियुक्त समय के भीतर कोई आदेश पारित करेगा।

प्ररूप - 1

[नियम 5 (2) देखें]

मासिक रिपोर्ट (आगामी माह के 12 तारीख तक प्रस्तुत किया जाए)

1.	भर्ती और प्लेसमेंट सेवा का नाम	
2.	अवधि के लिए रिपोर्ट	----- से ----- तक
3.	समुद्रकर्मी का नाम	
4.	भारतीय राष्ट्रीय समुद्रकर्मी डेटाबेस (INDOS) संख्या	
5.	सतत निर्वहन प्रमाण पत्र (CDC) संख्या	
6.	दर्जा	
7.	जलयान का नाम	
8.	जलयान का ध्वज	
9.	अनुबंध के प्रारंभ होने की तिथि	
10.	साइन ऑफ की तिथि	
11.	अनुबंध के पूरा होने/ भारत आगमन की तारीख	
12.	अभ्युक्ति, यदि कोई	

प्ररूप - 2

[नियम 5(3) देखें]

समुद्रकर्मियों के मृत्यु या अक्षमता की रिपोर्ट
(घटना के 48 घंटे के भीतर प्रस्तुत किया जाए)

1.	समुद्रकर्मियों का नाम	
2.	लिंग	
3.	आयु	
4.	जन्म की तारीख	
5.	सतत निर्वहन प्रमाणपत्र (सीडीसी) संख्या	
6.	सक्षमता प्रमाणपत्र का विवरण, यदि लागू हो	
7.	निकटतम परिजनों का विवरण	
	(क) नाम	
	(ख) संबंध	
	(ग) पता, दूरभाष नं. और ईमेल/ फैक्स	
8.	पीड़ित क्षति-मूल्यों/हताहता की संख्या सहित दुर्घटना/घटना की प्रकृति (अतिरिक्त शीट का प्रयोग करें, यदि आवश्यक हो)	
9.	समुद्री अपघात / घटना में शामिल पोत का विवरण	
	(क) पोत का नाम और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य संगठन (IMO) संख्या	
	(ख) टनभार	
	(ग) पोत की स्थिति	
	(घ) ध्वज	
	(ङ) शामिल तटीय राज्य/राज्यें	
	(च) प्रोटेक्शन और इन्डेमेंटी (पी एंड आई) क्लब का नाम	
	(छ) कैप्टन का नाम	
	(ज) स्वामित्व का नाम	
10.	भारत में भर्ती और प्लेसमेंट सेवा का विवरण	
	(क) नाम	
	(ख) पता, दूरभाष नं. और ईमेल/ फैक्स	
	(ग) लाइसेंस संख्या	
11.	समुद्रकर्मियों को दी गई सहायता के विवरण	
12.	समुद्रकर्मियों के लिए बीमा कवरेज	

स्थान:-

दिनांक:-

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम / पदनाम
हस्ताक्षर और सील

प्ररूप - 3

[नियम 9(1) और नियम 17(2) देखें]

भर्ती और प्लेसमेंट सेवा लाइसेंस के लिए आवेदन

1.	नाम	
2.	स्थिति [व्यक्ति/ कंपनी/संस्था/ एजेंसी या अन्य संगठन]।	
3.	निगमन की तारीख	
4.	अधिकृत हस्ताक्षर कर्ताओं के नाम, पदनाम और पता	
5.	दूरभाष नंबर	
6.	फैक्स नंबर	
7.	वेबसाइट और ई-मेल	
8.	(क) पंजीकृत कार्यालय का पता (ख) सभी शाखाओं का पता	
9.	क्या कार्यालय अपना/ पट्टेपर/किराए पर है।	
10.	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के आवासीय पता	
11.	सभी बैंकों के नाम और पता	
12.	गतवर्ष के आयकर रिटर्न की एक प्रति के साथ स्थायी खाता संख्या	
13.	पिछले पांच वर्षों के दौरान व्यापार का विवरण (लाभ-हानि खाता और वित्तीय स्थिति विवरण संलग्न है)	
14.	अनुभव, यदि कोई, समुद्रकर्मियों की भर्ती, वर्षों की संख्या	
15.	क्या कोई प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पहले किसी भर्ती एजेंसी से जुड़ा है, तो विवरण दें	
16.	यदि पहले समुद्रकर्मियों की भर्ती के व्यापार में है तो गत पाँच वर्षों के दौरान वर्षवार-देशवार और श्रेणीवार नियुक्त समुद्रकर्मियों की कुल संख्या	
17.	क्या समुद्रकर्मियों के भर्ती के संबंध में यदि कोई शिकायत विचाराधीन है, यदि है, तो तत्संबंधी विवरण दें	
18.	क्या किसी भी न्यायालय में अपराधिक अथवा सिविल मामले विचाराधीन है, यदि है, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	
19.	क्या कोई प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता दोषी पाया गया है, यदि है, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	
20.	नियोक्ता के साथ अनुबंध या संविदा की कुल संख्या उनका विवरण	
21.	समुद्रकर्मियों की प्रस्तावित भर्ती संख्या	
22.	अन्य कोई नौवहन से संबंधित गतिविधियां की गई हों, यदि कोई	

वचन पत्र

मैं/हम एतद्वारा वचन देता हूँ कि जो उल्लेखित मेरी/हमारी जानकारी सूचना और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और ऊपर दी गई जानकारी गलत या झूठी पाई जाती है किसी भी संबंध में तो मैं/हम निदेशक, नाविक रोजगार कार्यालय के किसी भी निर्णय का पालन करेंगे।

दिनांक

आवेदनकर्ता का नाम, पदनाम

हस्ताक्षर, और मोहर

संलग्नक सूची -

- (I) निर्धारित शुल्क
- (II) पोत स्वामी या नियुक्ता के साथ अनुबंध
- (III) निगमन प्रमाणपत्र की प्रति
- (IV) गत पांच वर्षों के लाभ- हानि खाता और वित्तीय स्थिति विवरण
- (V) चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपत्ती और खर्च का प्रमाणपत्र
- (VI) पोतों की सूची आईएमओ नंबर के साथ जिस पर समुद्रकर्मियों की भर्ती हुई है या प्रत्येक प्रपत्र 7 के विरुद्ध भर्ती के लिए प्रस्तावित है
- (VII) आधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची और पता के साथ ईमेल
- (VIII) प्रपत्र 5,6 और 7 भरें

प्ररूप - 4

[नियम 9(1) देखें]

लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन फार्म

1.	नाम	
2.	स्थिति [व्यक्ति /कंपनी /संस्था /एजेंसी या अन्य संगठन]	
3.	लाइसेंस नंबर और जारी की तारीख	
4.	लाइसेंस की मान्यता अवधि	
5.	लाइसेंस के दौरान नियुक्त समुद्रकर्मियों की कुल संख्या- श्रेणीवार भर्ती समुद्रकर्मियों की लम्बित शिकायतें और यदि हों, तत्संबंधित ब्यौरा दें।	
6.	क्या किसी भी न्यायालय में अपराधिक या सिविल मामले विचाराधीन हैं यदि हों, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	
7.	क्या कोई प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता दोषी पाया गया है, यदि हों, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	
8.	पंजीकृत कार्यालय/शाखा के स्थानांतरण का विवरण	
9.	नियोक्ता के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध /संविदा की कुल संख्या। ध्वजवार और स्वामित्ववार का विवरण दें।	

परिवचन

मैं / हम एतद्वारा वचन देता हूँ कि उल्लेखित मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है। ऊपर दी गई जानकारी गलत या झूठी पाई जाती है तो इस संबंध में एतद्वारा निदेशक, नाविक रोजगार कार्यालय के किसी भी निर्णय का पालन करेगा।

दिनांक:

आवेदन कर्ता का नाम और
पदनाम, हस्ताक्षर और मोहर

संलग्नक सूची:-

- (I) निर्धारित शुल्क
- (II) पोत स्वामी या नियुक्ता के साथ अनुबंध
- (III) निगमन प्रमाणपत्र की प्रति
- (IV) गत पांच वर्षों के लाभ- हानि खाता और वित्तीय स्थिति विवरण
- (V) चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपत्ती और उत्तरदायित्वों का प्रमाणपत्र

प्ररूप - 5**[नियम 9 (2) देखें]****घोषणा**

मैं/हम, ----- का व्यक्ति /कंपनी/संस्था /एजेंसी या अन्य संगठन एतद्वारा यह घोषणा करते हैं कि:-

1. मैं/हम..... में कारोबार करेंगे।
2. मैं/हम लाइसेंस की मान्यता की अवधि के दौरान कारोबार करेंगे।
3. मैं/हम अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के हस्ताक्षरों और मुहर के अंतर्गत कारोबार करेंगे।
4. मैं/हम लाइसेंस को हस्तांतरण नहीं करेंगे।
5. मैं/हम पंजीकरण कार्यालय में जनता के लिए एक सुलभ जगह पर लाइसेंस और शाखा कार्यालय में जनता के सुविधानुसार लाइसेंस अभिप्रमाणित प्रति प्रदर्शित करेंगे।
6. मैं/हम भर्ती के प्रयोजन या रोजगार प्रदान करने के लिए समुद्रकर्मियों से कोई भी शुल्क नहीं लेंगे।
7. मैं/हम पंजीकृत कार्यालय में निम्नलिखित रिकार्ड रखेंगे,
 - (I) समुद्रीकर्मियों के नाम और पते का रजिस्टर
 - (II) समुद्रकर्मियों से एक रजिस्टर जिसमें यात्रा कागजात, चिकित्सा परीक्षा इत्यादि वसूल समाविष्ट है।
 - (III) भर्ती के लिए प्रत्येक समुद्रीकर्मी का जीवनवृत्तांत (नाम, पता, आयु, योग्यता, अनुभव या परिजनों का पता सहित दिए गए सभी विवरण)
 - (IV) प्रत्येक समुद्रकर्मियों के रोजगार अनुबंध की प्रतियां
 - (V) नियोक्ता के साथ सभी एमओयू /संविदा/अनुबंध की मूल प्रति
 - (VI) पाँच वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए प्रेषित सभी विज्ञापनों की कार्यालय प्रतियां, साक्षात्कार के पत्र, जहां लागू है और आवेदक के साथ पत्राचार, इस चयन के लिए मूल सौंपी शीट, चयन प्रक्रिया में शामिल व्यक्तियों के नाम और पता, नियुक्तियों के पत्रों की प्रति और अन्य विवरण आदि सहित समुद्रकर्मियों की भर्ती से सम्बन्धित सभी दस्तावेज।
 - (VII) समुद्रकर्मियों के परिजनों का विवरण, पासपोर्ट नंबर, रोजगार देश, चोट या मृत्यु की प्रकृति जैसा मामला हो, दुर्घटना की तारीख, नियोक्ता का नाम और पता और भुगतान किए गए प्रतिपूर्ति का विवरण के साथ समुद्रकर्मियों के मृत्यु या चोट के लिए प्रतिपूर्ति दावे का रजिस्टर
 - (VIII) ऐसे अन्य रिकार्ड को अनुरक्षण करने की आवश्यकता होगी।
8. मैं/हम मासिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट अगले माह के 12 तारीख तक प्रस्तुत करेंगे।
9. मैं/हम फंसे होने पर उस स्थिति में समुद्रकर्मियों से देश-प्रत्यार्तन का प्रभार नहीं लेंगे और मृत समुद्रकर्मियों के मृत्यु कारक अवशेष के लिए परिवहन पर भी प्रभार नहीं लिया जाएगा।
10. मैं/हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी समुद्रकर्मियों भर्ती के लिए इस नौकरी के लिए मान्यता कागजात पास में है। (जैसे पासपोर्ट, वीसा, सीडीसी, सीओसी, अपेक्षित योग्यता प्रमाणपत्र इत्यादि)

11. मैं/हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी पोतों जिस पर समुद्रकर्मियों को भर्ती किया गया है और रखे गए हैं वे संरक्षण और क्षतिपूर्ति बीमा द्वारा उचितरूप में शामिल हैं।
12. मैं/हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भर्ती और पोत स्वामियों के साथ रखे गए सभी समुद्रकर्मियों का बीमा करवाया जाएगा।
13. मैं/हम यह सुनिश्चित करते हैं कि अपने कार्यालय के सभी व्यक्ति पूर्णरूप प्रशिक्षित हैं और वाणिज्य उद्योग की संबंधित जानकारियां हैं।
14. मैं/हम घोषणा करते हैं कि मैं/हम किसी कानून द्वारा दोषी नहीं हैं और कोई भी आपराधिक मामले विचाराधीन नहीं हैं।
15. मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि समुद्रकर्मियों की भर्ती के लिए सभी पोत स्वामित्व /एजेंसी के साथ वैध अनुबंध है।
16. मैं/हम यह सुनिश्चित करेंगे कि समुद्रकर्मियों के सभी अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित होंगे और सभी समुद्रकर्मियों के लिए रोजगार की मान्यता संविदा और अनुबंधों पर हस्ताक्षर होंगे।
17. मैं/हम समय – समय से यथा संशोधित वाणिज्य पोत परिवहन (भर्ती और प्लेसमेंट सेवा) नियम के प्रावधानों का पालन करेंगे।

मैं/हम घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी विश्वास सूचना के अनुसार पूर्णरूप से सही है। मुझे/हमें ज्ञात है कि किसी गलत विवरण या सूचना देने पर आवेदन को रद्द किया जाएगा।

दिनांक _____ व्यक्ति /कंपनी/संस्था /एजेंसी या अन्य संगठन के हस्ताक्षर
नाम, पदनाम और मुहर

प्ररूप – 6

[नियम 9 (2) देखें]

प्रबंध कार्मिकों की योग्यता और अनुभव की घोषणा

भर्ती और प्लेसमेंट सेवा का नाम

पता

.....
.....
.....

1. पदनाम..... नाम.....

उत्तरदायित्व

शैक्षणिक योग्यता

व्यावसायिक योग्यता

अनुभव

2. पदनाम.....नाम

उत्तरदायित्व

शैक्षणिक योग्यता

व्यावसायिक योग्यता-----

अनुभव.....

3. पदनाम..... नाम.....
 उत्तरदायित्व
 शैक्षणिक योग्यता
 व्यावसायिक योग्यता
 अनुभव
4. पदनाम..... नाम.....
 उत्तरदायित्व
 शैक्षणिक योग्यता
 व्यावसायिक योग्यता
 अनुभव
5. पदनाम..... नाम.....
 उत्तरदायित्व
 शैक्षणिक योग्यता
 व्यावसायिक योग्यता
 अनुभव
 नौवहन महानिदेशालय अनुमोदित नंबर (चिकित्सक के लिए)-----

दिनांक: व्यक्ति /कंपनी/संस्था /एजेंसी या अन्य संगठन के हस्ताक्षर,
 नाम, पदनाम और मुहर

प्ररूप – 7

[नियम 9 (2) देखें]

भर्ती और प्लेसमेंट सेवा प्रदाता और नियोक्ता/पोत स्वामी के मध्य अनुबंध

नाम, पता, दूरभाष नं. , फैक्स नं. ई मेल और नियोक्ता /पोत स्वामी का पूरा विवरण

नाम, पता, दूरभाष नं. , फैक्स नं. ई मेल और प्लेसमेंट सेवा नियम
 का पूरा विवरण

जबकि, केवल एजेंट के रूप में नियोक्ता के लिए और के बदले सवार समुद्रकर्मियों की भर्ती और प्लेसमेंट के लिए उपर्युक्त नामित नियोक्ता/पोत स्वामी के साथ यथा उपर्युक्त नाम भर्ती और प्लेसमेंट सेवा इस..... दिन के..... अनुबंध समाविष्ट है।

नियोक्ता /पोत स्वामी इस प्रकार नियुक्त समुद्रकर्मियों के किसी स्थान पर फंसने की स्थिति में उसको वापस लाने के साथ साथ उसके उचित रख-रखाव तथा मृत्यु की स्थिति में स्थानीय नियमों के अंतर्गत यदि अनुमेय हो, समुद्रकर्मियों के अवशेषों को वापस लाने का वचन देता है।

हस्ताक्षरित, मोहरित और प्रेषित:

(नियोक्ता/पोत स्वामी के लिए और की ओर से)

हस्ताक्षरित, मोहरित और प्रेषित:-

(भर्ती और प्लेसमेंट सेवा प्रदाता के लिए और की ओर से)

प्ररूप - 8

[नियम 9 (4) देखें]

भर्ती और प्लेसमेंट सेवा लाइसेंस

1. भर्ती और प्लेसमेंट सेवा प्रदाता का नाम.....
2. पंजीकृत कार्यालय का पता
3. शाखा का पता
4. स्थिति (व्यक्ति /कंपनी/संस्था /एजेंसी या अन्य संगठन).....
5. लाइसेंस नंबर

यह प्रमाणित किया जाता है कि.....ने अपेक्षित कागजात प्रस्तुत किए और वाणिज्यिक पोत परिवहन (समुद्रकर्मियों भर्ती और प्लेसमेंट) नियम, 2016 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया।

नियमों के संदर्भित शर्तों के अधीन और जब तक लाइसेंस निलंबित या लिखित में वापस न ले, लाइसेंस से.....तक की मान्यता है।

दिनांक:

निदेशक, नाविक रोजगार कार्यालय के हस्ताक्षर,

मोहर और सील

प्ररूप - 9

[नियम 12 (1) देखें]

भर्ती और प्लेसमेंट सेवा प्रदाता को कारण बताओ नोटिस

सेवा में,

महोदय,

जबकि वाणिज्यिक पोत परिवहन (समुद्रकर्मियों की भर्ती और प्लेसमेंट) नियम, 2016 के अंतर्गत निदेशक, नाविक रोजगार कार्यालय द्वारा भर्ती और प्लेसमेंट सेवा की ----- से ----- अवधि के लिए ----- संख्या का लाइसेंस जारी किया गया।

2. जबकि..... निम्न कारणों के लिए निम्नलिखित प्रावधानों के पालन करने में असफल रह गया है।

(क)

(ख)

(ग)

(घ)

अतः अब वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्रकर्मियों की भर्ती और प्लेसमेंट) नियम, 2016 के नियम 18 के अंतर्गत निदेशक, नाविक रोजगार कार्यालय एतद्वारा इस सूचना की तिथि से 30 दिनों के भीतर कारण बताओं नोटिस जारी किए जाने के लिए निर्देश दिये जाते हैं, क्यों न भर्ती और प्लेसमेंट सेवा लाइसेंस धारक न. को निलंबित/वापस ले लिया जाए।

भवदीय,
निदेशक, नाविक रोजगार कार्यालय

स्थान:

[सं. एल-11013/1/2015-एम ए]

बरूण मित्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th February, 2016

G.S.R.169(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 95 and section 457 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), and in supersession of the Merchant Shipping (Recruitment and Placement of Seafarers) Rules, 2005, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules to regulate the issue of licences to recruitment and placement services, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Merchant Shipping (Recruitment and Placement of Seafarers) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958);

(b) “*advisory board*” means the advisory board referred to in clause (a) of sub-section (3) of section 95 of the Act;

(c) “*collective bargaining agreement*” means,—

(i) an agreement signed, from time to time, between the seafarers’ trade unions and the Indian ship owners for employment of seafarers on board Indian flag ships; or

(ii) an agreement signed between the concerned trade unions and employers for an employment on board foreign flag ships, which is in conformity with the laws of the flag State concerned;

(d) “Director” means the Director of the seamen’s employment office concerned, established under section 12 of the Act or any other officer authorised by the Director-General in this behalf;

(e) “employer” means any person who assumes the responsibility of employing seafarer for,—

(i) himself; or

(ii) any other person in respect of a ship and who has agreed to take over all such duties and responsibilities as of the owner:

Provided that where any recruitment and placement service does not disclose the name and details of the employer to the seafarer, whilst entering into the employment contract, such recruitment and placement service shall assume the entire responsibility of the employer or ship owner in this respect;

(f) “Form” means a form appended to these rules;

(g) “Inspecting authority” means any officer subordinate to the Director-General or any other person or body of persons professionally competent to carry out an inspection and authorised by the Director-General, in this regard;

(h) “licence” means recruitment and placement service licence issued under sub-rule (1) of rule 10 of these rules;

(i) “recruitment and placement service” means *any* person, company, institution, agency or other organisation, in the public or private sector, which is engaged in recruiting seafarers on behalf of employers or placing seafarers with employers.

(j) “ship owner “means

(a) *the owner of the ship registered under the Act as an Indian flag ship; and*

(b) any organisation or any person such as a manager, agent or bareboat charterer, other than the Indian flag ship, who has assumed the responsibility for the operation of the ship from such owner and who or which, on assuming such responsibility takes over all the duties and responsibilities of such owner regardless of whether any other organisations or persons fulfil certain duties or responsibilities on behalf of the ship owner.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. Applicability. – (1) These rules shall apply to the seafarers recruited through licensed recruitment and placement services.

(2) They shall also apply to the Indian ship owners who are recruiting seafarers for any other employers, including recruitment for the foreign flag ships:

Provided that nothing in these rules shall apply to the seafarers who seek any employment through unlicensed entities or any employment directly with the foreign ship owners or employers.

4. Registration of recruitment and placement service. — No person shall, directly or indirectly, carry on the business, in India, of recruitment and Placement of any seafarer on behalf of an employer or ship owner of Indian or foreign ship, unless it is registered and licensed under these rules.

5. Responsibilities of a recruitment and placement service.--(1) The recruitment and placement service provider including the deemed Recruitment and Placement Services shall,-

(a) maintain an up-to-date record of all seafarers recruited or placed through it, which shall be available for an inspection by the inspecting authority, as and when required;

(b) ensure that its management and staff are adequately trained and have relevant knowledge of the maritime industry to the extent of the duties assigned to them in this context;

(c) ensure that seafarers recruited or placed by it are informed of their rights and duties under their employment agreements, prior to or in the process of their engagement and that proper arrangements are made for such seafarers to examine their employment agreements before and after they are signed on and also that they are provided with copies of the said agreements;

(d) verify that seafarers recruited or placed by them are qualified and hold the documents necessary for the jobs concerned, and that the seafarers’ employment agreements are in accordance with the applicable flag State laws and regulations and any collective bargaining agreement that forms part of their employment agreements;

(e) ensure, as far as practicable, that the ship owner has the means to protect such seafarers from being stranded in a port; and in such an event shall make adequate provisions for the repatriation of a stranded seafarer along with his maintenance and required emergency medical assistance prior to repatriation and the transportation of the mortal remains of a seafarer in the event of his death, and it shall also furnish a bank guarantee to cover the cost of repatriation of the seafarer in an event of his abandonment and being stranded;

(f) examine promptly and adequately and respond to any complaint concerning its activities and inform the Director-General about any unresolved complaint;

(g) establish a system of protection, by way of a bank guarantee to compensate seafarers for any monetary loss that they may incur as a result of the failure of a recruitment and placement service and the relevant ship owner under the seafarers employment agreement to meet its obligation to them;

(h) ensure that no means or mechanism or lists are used to prevent or deter seafarers from gaining an employment for which they are qualified;

(i) ensure that no fees or other charges is borne, directly or indirectly, in whole or in part, by the seafarer, other than the cost to the seafarers in obtaining a medical certificates, seafarer’s book and passport or other similar personal travel documents, provided that the cost of visa, and charges for pre-sign on and post - sign off medical examination, wherever required, shall be borne by the ship owner;

- (j) ensure that any incident or casualty on-board causing injury (excluding minor injuries) or death, disappearance, loss overboard or homicide by or of an Indian National, is reported to the Director-General, at the earliest and not later than twenty- four hours of the receipt of such information;
- (k) develop and maintain operational practices to verify the seafarers' medical examination, identity documents and such other items as may be required for seafarers to gain an employment;
- (l) maintain, with due regard to the right to privacy and need to protect confidentiality, full and complete records of the seafarers covered by their recruitment and placement system, which should include but not be limited to-
- (i) the seafarers' qualifications;
 - (ii) record of employment;
 - (iii) personal data relevant to employment; and
 - (iv) medical data relevant to employment;
- (m) maintain up-to-date lists of the ships, owned by the ship owners for which the recruitment and placement service provides seafarers and ensure that there are reasonable means by which the ships can be contacted in an emergency, at all hours;
- (n) ensure that seafarers are not subject to exploitation by their personnel with regard to offer of engagement on particular ships or by particular companies;
- (o) put in place the procedures to prevent the opportunities for exploitation of seafarers arising from the issue of joining advances or any other financial transaction between the ship owner and the seafarer which are handled by the recruitment and placement service;
- (p) clearly publicise cost, if any, which seafarer is expected to bear in the recruitment process;
- (q) ensure that the seafarers are informed of any particular condition applicable to the jobs for which they are to be engaged and of the particular ship owners policies relating to their employment;
- (r) ensure that the procedures followed while dealing with cases of incompetence or indiscipline are consistent with the principles of natural justice, the law of the land and practice and, wherever applicable, with collective bargaining agreements;
- (s) ensure, that all mandatory certificates and documents submitted for employment are up to date and have not been fraudulently obtained and that employment references are verified;
- (t) ensure that requests for information or advice by families of seafarers while the seafarers are at sea are dealt with promptly and sympathetically and at no cost to the seafarers;
- (u) verify that the labour conditions on ships where seafarers are placed are in conformity with applicable collective bargaining agreements concluded between a ship owner and a representative seafarers organisation;
- (v) ensure that the terms and conditions of employment to seafarers comply with applicable laws or regulations or collective bargaining agreements;
- (w) endeavour that the death compensation or disability compensation are paid by the ship owner without undue delay;
- (x) ensure that a copy of the licence granted under these rules is prominently displayed at the premises of the recruitment and placement service at a place accessible to public;
- (y) ensure that the number, date of issue and the validity period, of the licence are mentioned in all of their advertisements published and the licence number is mentioned in all its communications;
- (z) ensure that it sends the reminder to the Director for its annual inspection, three months before its due date and be prepared for the same.
- (2) The Recruitment and Placement Service shall furnish a monthly report in Form-I by the 12th of every succeeding month, in the manner specified by the Director General Shipping.
- (3) If the seafarer suffers death or injury, it shall be reported in Form-II in online mode or paper form by the recruitment and placement service to the Director, or any other person authorised by Director General, within forty eight hours of the incident.
- (4) If the recruitment and placement service fails to furnish the report referred in sub-rules (2) and (3), within the specified period, the Director may suspend or withdraw the registration granted and licence issued under these rules:

Provided that no such licence shall be suspended or withdrawn without giving the aggrieved person an opportunity of being heard.

6. Welfare contribution to Seafarers Welfare Fund Society.—(1) The recruitment and placement service shall, for promoting the welfare of seafarers, pay to the Seafarers Welfare Fund Society, Mumbai, a welfare fund contribution of rupees six thousand per seafarer per annum, for every seafarer excluding trainees, engaged on board foreign flag ships, on the basis of the actual period of the seafarers employed.

(2) The recruitment and placement service shall ensure that the Indian ship owner pays the welfare fund contribution for every seafarer engaged by them on-board Indian flag ships as per the Merchant Shipping (Levy of seamen's Welfare Fee) rules, 1974, as amended.

(3) The contributions referred to in sub-rule (1) shall be paid by fifteenth of the month following the end of every quarter.

(4) The Seafarers' Welfare Fund contribution amount mentioned in the sub-rule (1) shall be subject to revision by the Director-General.

(5) The revision referred to sub-rule (5) may be carried out once in every three years: Provided that the amount so revised shall not exceed twenty-five per cent, of the contribution referred to in sub- rule (1).

7. Functions of seamen's employment office.— (1) The seamen's employment office shall,

- (a) issue or renew a licence referred to in rules 9, 10 and rule 11;
 - (b) maintain a record of licences issued and assign a distinct licence numbers and display the details of licences on the website of the Directorate General of Shipping;
 - (c) maintain a record of recruitment and placement services whose licences are suspended or cancelled and arrange to display the details thereof on website of the Directorate General of Shipping;
 - (d) maintain the details of complaints received from seafarers concerning working or living conditions on board a ship;
 - (e) refer, wherever required, the complaints concerning the activities of the recruitment and placement services and the complaints received from recruitment and placement services against errant seafarers to the advisory board; and
 - (f) maintain details of information received in case of death or disability of seafarers.
- (2) Where the recruitment and placement service fails to undertake its responsibilities referred under clause (e) and (g) of sub-rule (1) of rule 5, the bank guarantee referred to in rule 12 shall be invoked and utilised by the seamen's employment office for the said purpose.
 - (3) If the amount available in the bank guarantee referred in sub-rule (2) is insufficient, the welfare contribution of the Recruitment and Placement Service to the Seafarers Welfare Fund Society, Mumbai shall be utilised for the purpose as an interim measure.
 - (4) The amount so utilised under sub-rule (2) or (3) shall be recovered from the Recruitment and Placement Service within a period of one month from the date of such utilisation failing which the licence of the Recruitment and Placement Service concerned shall stand suspended till the payment is replenished along with interest as specified by the Director-General, but in any case not more than one and a half per cent per month from the date of such payment.
 - (5) The Director may on receipt of a complaint from any seafarer or next of kin, conduct a detailed enquiry on it.
 - (6) The Director, if deemed necessary, order for special inspection for the specific purpose by the inspecting authority or any person authorised by the Director-General.
 - (7) The special inspection may be done in the office of the recruitment and placement service or any of its branches or subordinate offices, as deemed necessary.

8. Composition and functions of Advisory Board.—(1) The Advisory Board shall consist of the following, namely:-

- (a) Joint Director-General of Shipping -- Chairperson, *ex-officio*;
- (b) Deputy Director-General of Shipping dealing with crew related matters - Member Secretary, *ex-officio*;
- (c) two representatives of the ship-owners, as appointed by the Director –General-Members;
- (d) two representatives of the recruitment and placement services, appointed by the Director-General-Members; and

- (e) two representatives of the seafarers, appointed by the Director- General- Members.
- (2) The tenure of the advisory board shall be two years.
- (3) The advisory board may advise on -
 - (a) issues in the complaints referred to it; and
 - (b) any related policy matter referred to it.

9. Procedure for issue of licence and its renewal.— (1) An application for licence shall be made in Form-III and for renewal the application shall be made in Form-IV.

- (2) The applications referred to in sub-rule (1) shall be accompanied by declarations in Form-V and Form VI and an agreement in Form-VII and shall be made to the Director and with a copy to Inspecting authority. Any incomplete application shall not be processed and shall be returned to the applicant within ten days indicating the reason thereon.
- (3) Director, on receipt of the Inspection report from the Inspecting authority may issue the licence.
- (4) The licence shall be issued in Form-VIII
- (5) An application for renewal shall be submitted within six months prior to the date of expiry of licence.
- (6) If the application is submitted after the expiry of licence, recruitment and placement service shall be liable to pay late fees of rupees three lakhs.
- (7) Before levy of late fee, the applicant shall be given an opportunity of being heard.

10. Period of licence.--(1) The licence under these rules shall be issued for a period not exceeding five years.

- (2) The licence issued under these rules shall not be transferable.

11. Duplicate licence. – The recruitment and placement service provider shall apply for issuance of a duplicate licence for a valid reason with an application fee of rupees five thousand, payable to Seamen’s Employment Office, together with a copy of first information report, where applicable, and such payment shall be made by a demand draft drawn on a scheduled bank or e-payment as may be specified by the Director-General.

12. Suspension or withdrawal of recruitment and placement service licence.--(1) The Jurisdictional Director, who has issued the licence, on receipt of a report by the inspecting authority, or a complaint by a seafarer concerned or otherwise, if he has a reason to believe that the activities of the recruitment and placement service are against the provisions of the Act or these rules or against the interest of the seafarer, may issue a show cause notice in Form-IX to the recruitment and placement service, requiring it to show cause within a period of thirty days from the date of issue of such notice, as to why the licence shall not be suspended or withdrawn.

- (2) The Jurisdictional Director, after considering the reply to the show-cause notice issued under sub-rule (1), shall as soon as possible, but not later than thirty days from the date of receipt of , if any, and after personal hearing, pass order of suspension or revocation as he deems fit and communicate the same to the recruitment and placement Service and forward a copy thereof along with a detailed report to the Principal Officer, Mercantile Marine Department and the Director-General, forthwith.
- (3) The information about the suspension or withdrawal of the licence shall be disseminated online.
- (4) Every order passed under sub-rule (2) shall be self-contained and give reasons for the conclusions stated therein for suspension or withdrawal of licence.

13. Inspection.—(1) The Director-General shall appoint an inspecting authority to conduct the inspection and also frame the procedure for carrying out such inspection.

- (2) The Director shall ensure that the inspection of the recruitment and placement services is carried out by the inspecting authority.
- (3) The Inspecting Authority shall conduct the inspection and submit its report to the Director within fifteen days from the date of receipt of application or such time as may be extended by the Director General.

14. Fees.--(1) The recruitment and placement services provider, for obtaining a licence or its renewal shall pay a fee of rupees forty thousand, which shall be non-refundable, payable to the Seamen’s Employment Office and the said payment shall be made by demand draft drawn on a scheduled bank or e-payment as may be specified by the Director-General.

- (2) The recruitment and placement service shall pay a non-refundable fee of twenty thousand rupees to the inspecting authority for every annual or renewal inspection.

15. **Bank guarantee.**—(1) The recruitment and placement service shall submit a bank guarantee to the Director in accordance with the following table:-

Table

Serial number	Number of seafarers placed on foreign flag ships	Amount of Bank Guarantee in Indian rupees
1.	Up to 50	10 lakhs.
2.	51-250	15 lakhs.
3.	251-500	20 lakhs.
4.	501-750	25 lakhs.
5.	751-1000	30 lakhs.
6.	1001 and above	40 lakhs.

(2) The bank guarantee shall be drawn on a scheduled bank in India in favour of the Seamen's Employment Office concerned.

(3) The bank guarantee shall be in commensurate with the number of jobs and shall be valid for the licence period.

(4) In case of any change in the number of jobs, the recruitment and placement service shall furnish requisite bank guarantee alongwith the application.

(5) Such bank guarantee shall cover the following, namely:-

(a) the cost of the repatriation of a stranded seafarer, which includes the cost of such travel by appropriate and expeditious means normally by air and provision for food, clothing, accommodation of the seafarers until arrival at the seafarer's home, necessary medical care, passage and transport of personal effect, the transportation of the mortal remains of a seafarer in the event of his death;

(b) the cost of repatriation of an abandoned seafarer, which includes the cost of such travel by appropriate and expeditious means, normally by air, and provision for food, clothing, drinking water supply, essential fuel for survival on board the ship, accommodation of the seafarers from the time of leaving the ship until arrival at the seafarer's home, necessary medical care, passage and transport of personal effect, the transportation of the mortal remains of a seafarer in the event of his death and any other reasonable costs or charges from the act or omission constituting the abandonment until the seafarer's arrival at home;

(c) any monetary loss including the outstanding wages and other entitlements due from the ship owner to the seafarer that they may incur as a result of the failure of a recruitment and placement service or the relevant ship owner to meet its obligation under the seafarers employment agreement or the relevant collective bargaining agreement.

(d) prior to making any such claims of monetary loss due to the non-payment of wages, the seafarer shall follow and exhaust the following procedure of complaint, namely :-

(i) on the completion of a calendar month, if no wages have been paid to him / her, the seafarer may lodge a complaint on board with the Master or with the employer or ship-owner or with the Flag State or Port State Authorities, at the earliest opportunity; and

(ii) at the earliest convenience, inform the Recruitment and Placement Service of all details regarding such non-payment of wages.

16. **Intimation of any change in recruitment and placement service process.**—If any change in the agreement or the contract between ship owners or employer and recruitment and placement service, the recruitment and placement service shall intimate the same to the Director along with the copy of agreement as the case may be, alongwith requisite bank guarantee as specified in rule 12, within one month, failing which the Director may suspend or withdraw the registration granted and licences issued to the recruitment and placement service:

Provided that no such licence shall be suspended or withdrawn without giving the aggrieved person an opportunity of being heard.

17. **Intimation of change in place of business.**—(1)The recruitment and placement service shall, from time to time, intimate in writing to the Director, of any change in its place of business, within seven days of such change, failing

which the Director may suspend or withdraw the registration granted and licence issued to the recruitment and placement service:

Provided that no such licence shall be cancelled without giving the aggrieved person an opportunity of being heard.

(2) For change of place of business, the recruitment and placement service shall follow the procedure prescribed in sub-rules (1) and (2) of rule 9 for a renewal of licence.

18. Placing of seafarer.--Without prejudice to the provisions of the foregoing rules, the recruitment and placement service provider shall ensure that a seafarer, with whom an employment agreement is entered, is put on board the ship, if the seafarer is ready and willing to do so and reports to the ship as directed.

19. Appeal. -- (1) Any person aggrieved by any order passed under rule 18, may, within a period of thirty days of the date of receipt of such order, appeal to the concerned jurisdictional Principal Officer, Mercantile Marine Department.

(2) The officer referred to in sub-rule (1), shall, after hearing both the parties, pass an order thereon within a period of sixty days from the date of receipt of such appeal.

(3) Any person aggrieved by any order passed under sub-rule (2) may, within a period of thirty days of the date of receipt of such order, appeal to the Director-General, who shall after hearing both the parties, pass an order thereon, as far as possible within reasonable time.

FORM-I

[See rule 5(2)]

MONTHLY REPORT (TO BE SUBMITTED BY THE 12TH OF THE SUCCEEDING MONTH

1.	Name of the recruitment and placement service	
2.	Report for the period	From _____ To _____
3.	Name of the seafarer	
4.	Indian National Database of seafarer (INDOS) number	
5.	Continuous Discharge Certificate (CDC) Number	
6.	Rank	
7.	Name of the vessel	
8.	Flag of the vessel	
9.	Date of commencement of contract	
10.	Date of sign off	
11.	Date of completion of contract/arriving in India	
12.	Remarks, if any.	

FORM-II**[See rule 5 (3)]****REPORT OF DEATH OR DISABILITY OF A SEAFARER****(TO BE SUBMITTED WITHIN FORTY EIGHT HOURS OF INCIDENT)**

1.	Name of seafarer	
2.	Sex	
3.	Age	
4.	Date of Birth	
5.	Continuous Discharge Certificate (CDC) Number	
6.	Certificate of Competency (CoC) details, where applicable	
7.	Next-of-kin details	
	(a) Name	
	(b) Relationship	
	(c) Address, Tel.No. and E-mail/Fax	
8.	Nature of accident / incident including damages / casualties suffered (use additional sheet if required)	
9.	Details of ship involved in marine casualty / incident	
	(a) Name of Ship and International Maritime Organization (IMO)Number.	
	(b) Tonnage	
	(c) Location of ship	
	(d) Flag	
	(e) Coastal state(s) involved	
	(f) Name of Protection and Indemnity(P&I) Club	
	(g) Name of Captain	
	(h) Details of owners	
10.	Details of recruitment and placement service in India	
	(a) Name	
	(b) Address, Tel.No. and Email / Fax address	
	(c) Licence No.	
11.	Details of Assistance given to the seafarer	
12.	Insurance Coverage of the seafarer	

Place:

Name and Designation of
Authorised Signatory
Signature and Seal

Date:

FORM -III**[See rule 9 (1) and rule 17 (2)]****APPLICATION FOR RECRUITMENT AND PLACEMENT SERVICE LICENCE**

1.	Name.	
2.	Status [person/company/institution/agency or other organisation].	
3.	Date of incorporation.	
4.	Name, designation and address of the authorised signatories.	
5.	Telephone Number.	
6.	Fax Number.	
7.	Website and e-mail id.	
8.	(a) Registered office address (b) Address of all branches	
9.	Whether the office is owned/leased/hired.	
10.	Residential address of the authorised signatories.	
11.	Name and address of all the Bankers.	
12.	Permanent Account Number along with a copy of the previous years income-tax returns.	
13.	Details of business during the last five years (enclose profit and loss account and balance sheet).	
14.	Experience, if any, in recruitment of seafarer, number of years.	
15.	Whether any authorised signatory has been associated with any recruiting agency in the past, if so, give details.	
16.	If previously in the business of recruitment of seafarers total number of seafarers deployed year-wise, country-wise and category-wise during the last five years.	
17.	Whether there are any complaints pending in respect of seafarers recruited, if so, details thereof.	
18.	Whether there is any criminal or civil case pending in any court. If so, details thereof	
19.	Whether any authorised signatory has been convicted. If so, details thereof.	
20.	Total number of agreements or contracts with employer with details thereof.	
21.	Number of seafarers proposed to be recruited.	
22.	Other Shipping related activities carried out, if any.	

UNDERTAKING

I/we do hereby undertake that whatever stated above is true and correct to the best of my/our knowledge, information and belief and in the event of any of the information furnished above is found false or incorrect in any respect, I/we shall abide by any decision of the Director, seamen's employment office.

Date:

Name and designation of the applicant

Signature and Seal

List of enclosures:-

- (i) Prescribed fee
- (ii) Agreement with the ship owner or employer

- (iii) Copy of certificate of incorporation
- (iv) Profit and Loss account and Balance Sheet for last five years
- (v) Certificate of the assets and liabilities by a chartered accountant
- (vi) List of ships, with IMO Nos. on which seafarers are recruited or proposed to be recruited against each Form-VII.
- (vii) List of authorised signatories, with specimen signatures and contact details with e-mail address.
- (viii) Filled in Form-V, VI and VII.

FORM-IV**[See rule 9(1)]****FORM OF APPLICATION FOR RENEWAL OF LICENCE**

1.	Name	
2.	Status [person/company/institution/agency or other organisation]	
3.	Licence number and date of issue	
4.	Validity period of licence	
5.	Total number of seafarers employed during the period of licence – category wise Pending complaints of seafarers recruited and if so, details thereof.	
6.	Whether there is any criminal or civil case pending in any court. If so, details thereof.	
7.	Whether any authorized signatory has been convicted. If so, details thereof.	
8.	Details of change of registered office / branch	
9.	Total number of agreement / contracts signed with employers. Please give the details Flag-wise and ownership-wise.	

UNDERTAKING

I/we do hereby undertake that whatever is stated above is true and correct to the best of my/our knowledge, information and belief and in the event of any of the information furnished above is found false or incorrect in any respect, I/we shall abide by any decision of the Director Seamen's Employment Office.

Date:

Name and designation of the applicant

Signature and Seal

List of enclosures:-

- (i) Prescribed fee
- (ii) Agreement with the shipowner / employer
- (iii) Copy of Certificate of Incorporation
- (iv) Profit and Loss Account and Balance Sheet for last five years
- (v) Certificate of the assets and liabilities by a Chartered Accountant.

FORM –V
[See rule 9 (2)]
DECLARATION

I/We, person/company/institution/agency or other organisation ofhereby declare that:

1. I/We shall conduct the business at
2. I/We shall carry out the business during the period of the validity of the licence.
3. I/We shall conduct the business under signatures and seal of the authorized signatories.
4. I/We shall not transfer the licence.
5. I/We shall display the licence at a place accessible to public in the registered office and also the attested copy of the licence at a place accessible to public in the branch office.
6. I/We shall not charge any fee from the seafarers for the purpose of recruitment or for providing employment.
7. I/We shall maintain the following permanent records at the Registered Office as under:
 - (i) a register of name and address of seafarers.
 - (ii) a register containing charges for travel documents, medical examination etc. collected from the seafarers;
 - (iii) bio-data (giving full particulars including name, address, age, skill, experience and address of next of kin) of each seafarer recruited;
 - (iv) copies of employment contract of each seafarer;
 - (v) originals of all MoUs/contracts/agreements with the employers;
 - (vi) all documents relating to recruitment of seafarers, including office copies of all advertisements issued, letters of interviews, where applicable, and correspondence with applicants, original award sheet leading to the selection, names and addresses of persons involved in the selection process, copies of letters of appointments and other particulars, etc, for a minimum period of five years.
 - (vii) a register of claims for compensation for injury or details of death of the seafarers alongwith the details of the next of kin of the seafarer, passport number, country of employment, nature of injury or death, as the case may be, date of accident, name and address of the employer and the details of compensation paid;
 - (viii) such other records as may be required to be maintained.
8. I/We shall furnish a monthly report of the preceding month by the 12th of the succeeding month.
9. I/We shall not charge the repatriation expenses from the seafarer in the event of his being stranded and also will not charge for transportation of the mortal remains of a dead seafarer.
10. I/We shall ensure that all seafarers recruited are in possession of valid documents for the job for which they are recruited (i.e. Passport, Visa, CDC, COC required qualification certificates etc.).
11. I/We shall ensure that all ships on which seafarers are recruited and placed are covered adequately by the Protection and Indemnity insurance.
12. I/We shall ensure that all seafarers recruited and placed with the ship owners are adequately covered by insurance coverage.
13. I/We ensure that all the personnel in our office are adequately trained and have relevant knowledge of the maritime industry.
14. I/We declare that I/we are not convicted under any law and that no criminal proceedings are pending.
15. I/We declared that I/we have valid contracts with all ship owner's/agent's for whom we recruit seafarers.
16. I/We shall ensure that all rights of seafarers will be duly protected and all seafarers shall enter into valid contracts of employment and sign article of agreements.
17. I/we shall abide by the provisions of the Merchant Shipping (Recruitment and Placement service) Rules as amended from time to time.

I/We declare that to the best of my/our knowledge, belief and information the above particulars are correct and complete. I/We am/are aware that any false statement or information shall render the application cancelled.

Signature of
 person/company/institution/agency or other organisation,
 Name, designation and seal

Date:

FORM-VI

[See rule 9(2)]

DECLARATION OF QUALIFICATION AND EXPERIENCE OF MANAGEMENT PERSONNEL

Name of the recruitment and placement service

Address

.....

1. Designation _____ Name _____

Responsibilities _____

Educational Qualification _____

Professional Qualification _____

Experience _____

2. Designation _____ Name _____

Responsibilities _____

Educational Qualification _____

Professional Qualification _____

Experience _____

3. Designation _____ Name _____

Responsibilities _____

Educational Qualification _____

Professional Qualification _____

Experience _____

4. Designation _____ Name _____

Responsibilities _____

Educational Qualification _____

Professional Qualification _____

Experience _____

5. Designation _____ Name _____

Responsibilities _____

Educational Qualification _____

Professional Qualification _____

Experience _____

Directorate General of Shipping approval number(For medical practitioner) _____

Signature of
 person/company/institution/agency or other organisation,
 Name, designation and seal.

Date:

FORM-VII**[See rule 9(2)]****AGREEMENT BETWEEN RECRUITMENT AND PLACEMENT SERVICE PROVIDER AND THE EMPLOYER/SHIP OWNER**

Name, Address, Tel. No., Fax No., E-mail and full style of the Employer/Ship owner:

Name, Address, Tel. No., Fax No., E-mail and full style of the recruitment and placement service:

Whereas, as the above-named recruitment and placement service has entered into an agreement on this day of with the above-named employer/ship owner for the recruitment and placement of seafarers on board for and on behalf of the employer as agent only,

The employer/ship owner undertakes to repatriate the seafarers so employed if stranded at any place as well as to look after his reasonable maintenance and to transport the mortal remains of the seafarer, if permissible under local laws, in case of death.

Signed, stamped and delivered:

(For and on behalf of the employer/ship owner)

Signed, stamped and delivered:

(For and on behalf of the recruitment and placement service provider)

FORM-VIII**[See rule 9(4)]****RECRUITMENT AND PLACEMENT SERVICE LICENCE**

1. Name of the recruitment and placement service provider-----

2. Address of the registered office.....

3. Address of branch.....

4. Status (person/company/institution/
agency or other organisation.).....
5. Licence number

This is to certify that thehas presented the requisite documents and has complied with the procedures prescribed under Merchant Shipping (Recruitment and Placement of Seafarers) Rules, 2016.

Subject to the conditions referred to in the rules, and unless the licence is suspended or withdrawn in writing, this licence is valid fromto.....

Date:

Signature of the Director,
Seamen's Employment Office
Stamp and Seal

FORM-IX**[See rule 12 (1)]****SHOW CAUSE NOTICE TO RECRUITMENT AND PLACEMENT SERVICE PROVIDER**

To,

Sir,

Whereasa recruitment and placement service has been issued a licence bearing numberfor the periodtoby the Director, Seamen's Employment Office under Merchant Shipping (Recruitment and Placement of Seafarers) Rules, 2016.

2. Whereashas failed to comply with the following provisions for the following reasons:

- (a)
- (b)
- (c)
- (d)

Now, therefore, the Director Seamen's Employment Office under rule 18 of the Merchant Shipping (Recruitment and Placement of Seafarers) Rules, 2016 hereby directs to show cause within a period of thirty days from the date of issue of this notice, as to why the recruitment and placement service Licence bearing No.should not be suspended/withdrawn.

Yours faithfully,

Place:

Director
Seamen's Employment Office

[No. L-11013/1/2015-MA]
BARUN MITRA, Jt Secy.